



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062024-255040
CG-DL-E-29062024-255040

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946

No. 2366]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

का.आ. 2491(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	चैनेज/लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
नई रारा-501	खानबल – बालटाल खंड (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में)	समग्र रारा
नई रारा-701ए	मनगाम – दूधपाथरी- शोपियां – सूरनकोटे खंड (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में)	159.500 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/1/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2024

S.O. 2491(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
New NH-501	Khanabal- Baltal section (In the UT of Jammu and Kashmir)	Entire NH
New NH-701A	Mangam-Dodhpathri-Shopian-Surankote section (In the UT of Jammu and Kashmir)	159.500 Km.

[F. No. NH-14013/1/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

का.आ. 2492(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“31	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए [किमी 0.00 से किमी 286.000 और किमी 303.800 से किमी 534.250 तक खंड को छोड़कर], सं. 1सी, नई रारा सं. 144, नई रारा सं. 444 [काजीगुंड – जवाहर सुरंग – बनिहाल खंड (35.00 किमी) तक को छोड़कर] और नई रारा सं. 701ए [(मनगाम – दूधपाथरी-शोपियां – सूरनकोटे खंड (159.00 किमी) तक को छोड़कर] के उतने भाग जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित हैं।	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार।”

[फा. सं. एनएच-14013/1/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-2266(अ), तारीख 12 जून 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।